

1

Dr. Honey Sinha  
Assistant professor  
Depto of Commerce  
sub: (B.O) Business Organisation  
B. Com part - 1st

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

SNSRKS College Saharsa

≡

### Introduction: Definition and kinds of shares. (अंश के परिभाषा एवं भेद)

अंश का अर्थ एवं परिभाषा :- कम्पनी अधिनियम की धारा 2(46) के अनुसार, अंश का अर्थ कम्पनी की अंशपूँजी के एक भाग से है और उसमें स्कन्ध भी शामिल है जब तक कि अंश और स्कन्ध में स्पष्टता और गार्भित रूप से अन्तर न किया गया हो। "लेकिन अधिनियम द्वारा दी गई यह परिभाषा स्पष्ट नहीं है। न्यायव्यीर लिण्डने के अनुसार, "पूँजी का वह आनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है, उसका अंश कहलाता है।"

स्पष्ट अर्थों में कम्पनी की समस्त पूँजी को जब छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है तो एक छोटे हिस्से को अंश कहा जाता है।

≡

### विशेषताएँ -

- 1) कम्पनी की पूँजी संरचना के एक भाग होते हैं।
- 2) लाभअंश का प्रथम अधिकार होता है।
- 3) पूँजी की वापसी के सम्बन्ध में प्रथम अधिकार होता है।
- 4) लाभअंश की दर निश्चित होती है।



(2)

- 5 किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता है।
- 6 कुछ मामलों में इन्हें मतदाधिकार भी प्राप्त होता है।

### (अंशों के भेद)

### (KINDS OF SHARES)

कम्पनी अधिनियम के अनुसार अब केवल दो प्रकार के अंश ही निर्गमित किये जा सकते हैं -


- 1 पूर्वाधिकारी अंश (Preference Share)
- 2 समता अथवा अन्याय (साधारण अंश) (Equity Shares)

1 पूर्वाधिकारी अंशों का अर्थ है उन अंशों से हैं जिन्हें लाभांश वितरण और पूँजी वापसी के सम्बन्ध में प्राथमिकता प्राप्त होती है। ऋण पूँजी पर ल्याज चुकाने के बाद कम्पनी की आय का जो भाग शेष बचता है उसमें से पूर्वाधिकारी अंशों को निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का प्रथम अधिकार ही लाभांश सम्बन्धी पूर्वाधिकार कहा जाता है। कम्पनी के समाप्त की दशा में सर्वप्रथम पूर्वाधिकारी अंशों को पूँजी प्राप्त करने का अन्याय अंशों की उपेक्षा अधिकार प्राप्त होता है। एक कम्पनी में विभिन्न प्रकार के पूर्वाधिकारी अंश हो सकते हैं।

2 समता अथवा साधारण अंश (Equity Shares)  
जो अंश पूर्वाधिकारी अंश नहीं हैं वे समता अंश कहे जाते हैं, अर्थात् ऐसे अंश जिन्हें लाभांश प्राप्ति

रुत पूँजी की वापसी में पूर्वाधिकारी अंशों के पश्चात अधिकार मिलता है, समता अंश कहे जाते हैं। समता अंश कहे जाते हैं। समता अंशों के धारक कम्पनी के मूल स्वामी होते हैं। इन्हें मतदान का अधिकार होता है। इन अंशों के धारक कम्पनी के अवशिष्ट के दायेदार होते हैं। प्रो. शाइमण्ड के अनुसार, "यह वह पूँजी है जो उपक्रम की अन्तिम जोखिम उठाती है, जो उपक्रम की अवशिष्ट उपाय तथा संसाधनों को वाँटती है और व्यवसाय की नियंत्रण पूँजी के इसी रूप में निहित होता है।"

The end



Dr. Honey Sinha  
Assistant professor  
Depto of Commerce  
SNSRKS college  
Saharsa

— x —